दिनांक 08.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 309/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मेटा के अलर्ट से पुलिस मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर मेरठ पुलिस द्वारा मात्र 08 मिनट में पीड़ित के घर पहुंचकर उसके प्राणों की रक्षा की गयी

- दिनांक 07-06-2026 को जनपद मेरठ के 25 वर्षीय युवक द्वारा **गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाने के कारण** उत्पन्न अवसाद में आत्महत्या सम्बन्धी वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया।
- मुख्यालय द्वारा प्राप्त अलर्ट के आधार पर जनपद मेरठ के थाना सरधना की पुलिस द्वारा मात्र 08 मिनट के अन्तराल में पीड़ित के घर पहुंचकर उसके प्राणों की रक्षा की गयी।
- दिनांक 01-01-2023 से 31-05-2026 के मध्य इस पहल के माध्यम से कुल **3011 व्यक्तियों** के प्राणों की रक्षा की जा चुकी है।
- उत्तर प्रदेश पुलिस को मेटा सुसाइडल अलर्ट की नवीन पहल के लिए प्रतिष्ठित **SKOCH Award-2025** तथा **The Economic Times GovTech Awards- 2026** से सम्मानित किया गया।

दिनांक 07-06-2026 को जनपद मेरठ के थाना सरधना निवासी लगभग 25 वर्षीय युवक द्वारा एक शीशी मे सफेद रंग का पेय पदार्थ पीते हुए तथा **"अब तुम खुश रहना अपनी लाइफ में"** यह टेक्स्ट लिखकर इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया गया। उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 07-06-2026 को शाम 06:53 PM पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बरो के आधार पर तत्काल पीड़ित की लोकेशन की जानकारी करके जनपद मेरठ को प्रकरण से अवगत कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर जनपद मेरठ के थाना सरधना के उप निरीक्षक मय पुलिस कर्मियों के मात्र **08 मिनट** के अन्तराल में युवक के घर पहुँच गए और युवक के परिजनों से जानकारी कर तत्काल युवक के पास पहुंचे तो देखा कि उसकी स्थिति गंभीर है तथा उसके पास एक तरल पदार्थ की शीशी पड़ी हुई थी। युवक अस्वस्थ अवस्था में था और उल्टी करने का प्रयास कर रहा था।

पुलिसकर्मियों ने बिना समय गंवाए परिजनों के सहयोग से युवक को निकटवर्ती अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका प्राथमिक उपचार किया गया। उपचार के उपरांत युवक की स्थिति सामान्य होने पर उसे घर भेज दिया गया। बाद में पुलिसकर्मियों द्वारा पूछताछ किए जाने पर उसने

बताया कि वह 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है तथा रोजगार के अभाव में मजदूरी का कार्य करता है। युवक का एक युवती के साथ प्रेम संबंध था और दोनों विवाह के लिए सहमत थे, किंतु कुछ समय पूर्व युवती द्वारा संबंध समाप्त कर दिए जाने के कारण वह मानसिक रूप से अत्यंत व्यथित एवं अवसादग्रस्त हो गया था। इसी मानसिक तनाव के चलते उसके मन में आत्मघाती विचार उत्पन्न हुए और उसने यह कदम उठा लिया।

पुलिसकर्मियों की त्वरित कार्रवाई, संवेदनशीलता एवं समय पर हस्तक्षेप के कारण युवक की जान बचाई जा सकी। इसके उपरांत पुलिस द्वारा युवक की काउंसलिंग की गई, जिस पर उसने भविष्य में ऐसा कोई कदम न उठाने का आश्वासन दिया। युवक के परिजनों ने पुलिस की तत्परता, मानवीय संवेदनशीलता एवं सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए पुलिसकर्मियों की सराहना की गयी।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई-मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। दिनांक 01-01-2023 से 31-05-2026 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल **3011** व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।

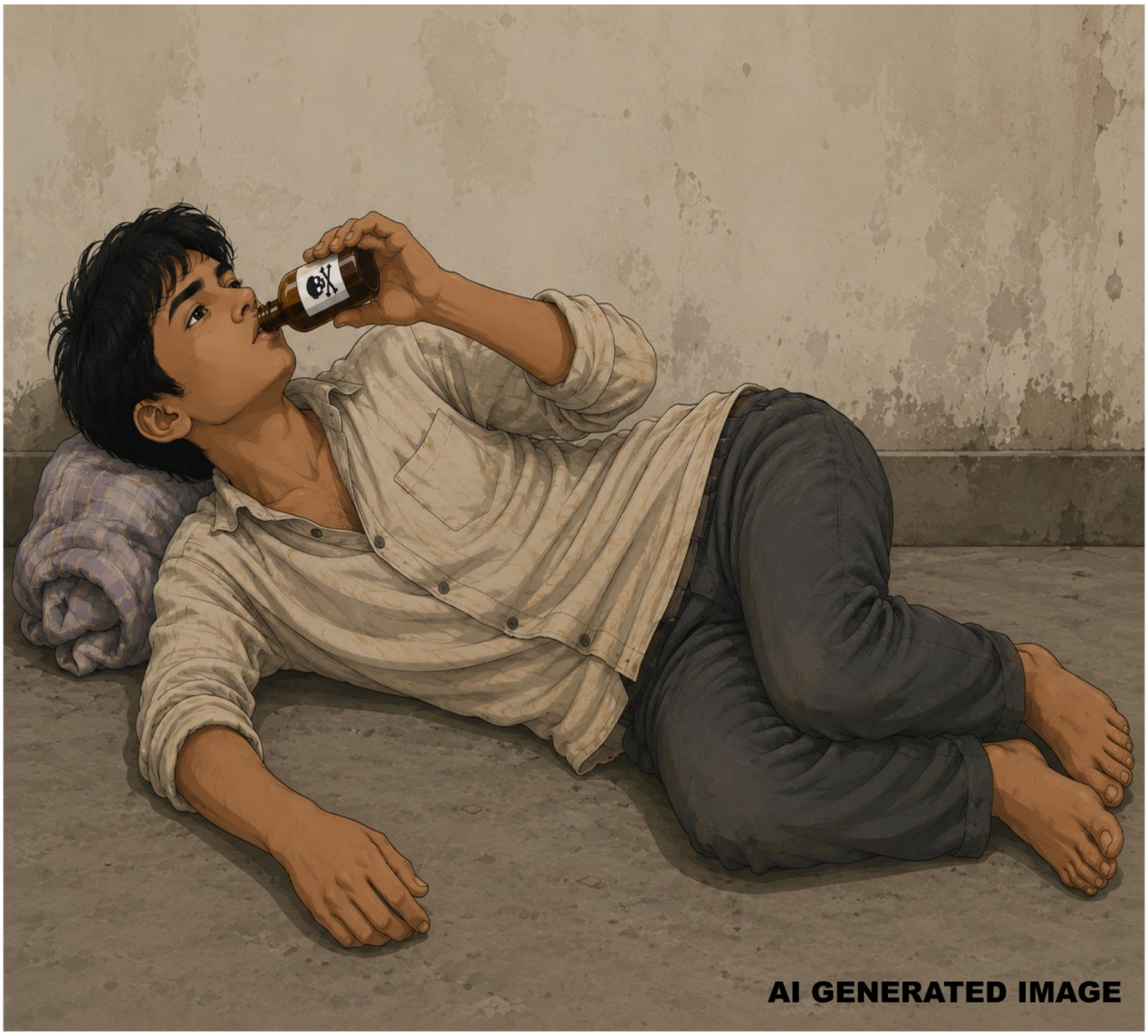

दिनांक 08.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 310/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद हापुड़/थाना हापुड़ देहात

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 24 लाख रूपये नगद**
- **लूट की पीली धातु के आभूषण, 10 चाँदी के सिक्के, 01 आईफोन**
- **लूट की 01 मोटर साइकिल**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 04 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 08.06.2026 को थाना हापुड़ देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सुल्तानपुर कट के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–साहिबे आलम 2–रोहित घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–गुड्डू 4–टिंकू 5–विक्की सहित गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 24 लाख रूपये नगद, लूट की पीली धातु के आभूषण, 10 चाँदी के सिक्के, 01 आईफोन, लूट की 01 मोटर साइकिल, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 04 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.06.2026 को थाना हापुड़ देहात क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण, सिक्के आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—साहिबे आलम निवासी ग्राम मोहम्मदपुर बस्तौर सम्भल रोड जनपद मुरादाबाद।

2—रोहित निवासी बसन्त विहार बलदरपुरी थाना कटघर जनपद मुरादाबाद।

3—गुड्डू निवासी रूस्तमपुर सराय थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।

4—टिंकू निवासी इचवाड़ा डीगर थाना देहपा जनपद सम्भल।

5—विक्की निवासी ग्राम जलीलपुर थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1—लूट के 24 लाख रूपये नगद।

2—लूट की पीली धातु के आभूषण, 10 चाँदी के सिक्के, 01 आईफोन।

3—लूट की 01 मोटर साइकिल।

4—04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

5—घटना में प्रयुक्त 04 मोबाइल फोन।

6—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद हरदोई/थाना कासिमपुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 25 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 08.06.2026 को थाना कासिमपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1—शकील 2—वीरू 3—अरबी हसन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 25 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कासिमपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शकील निवासी बरगदिया खेडा थाना कासिमपुर जनपद हरदोई।

2–वीरू निवासी ग्राम झौनीखेडा थाना कासिमपुर जनपद हरदोई।

3–अरबी हसन निवासी ग्राम कहचारी थाना कासिमपुर जनपद हरदोई।

बरामदगी

1–चोरी के 25 दो पहिया वाहन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद प्रतापगढ़/थाना आसपुर देवसरा

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **202.31 ग्राम अवैध एम0डी0 (Methamphetamine Drugs)**
- **01 अर्टिका कार**
- **01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 07/08.06.2026 की रात्रि थाना आसपुर देवसरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सैफाबाद–मुरैनी मार्ग से 05 अभियुक्तों 1–आनन्द 2–दिव्यांशु उर्फ गब्बर 3–आलोक 4–मंजीत 5–सूरज उर्फ दीपेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 202.31 ग्राम अवैध एम0डी0 (Methamphetamine Drugs), 01 अर्टिका कार, 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आनन्द निवासी ग्राम सौराई थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

2–दिव्यांशु उर्फ गब्बर निवासी लच्छीपट्टी थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर।

3–आलोक निवासी ग्राम औंगापुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

4–मंजीत निवासी लखनीपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

5–सूरज उर्फ दीपेश निवासी लच्छीपट्टी थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–202.31 ग्राम अवैध एम0डी0 (Methamphetamine Drugs)।

2–01 अर्टिका कार।

3–01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)।

<u>जनपद झांसी/थाना नवाबाद</u>

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी 07 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 08.06.2026 को थाना नवाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चार्जिंग स्टेशन के पास कोछाभांवर से 04 अभियुक्तों 1–विशाल 2–रानू उर्फ कृष्णा 3–राजकुमार 4–एहसान उर्फ तौहीद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी 07 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना नवाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–विशाल निवासी ग्राम बडैरा थाना भाण्डेर जनपद दतिया, म0प्र0।

2–रानू उर्फ कृष्णा निवासी पाल कालोनी थाना सीपरी बाजार जनपद झांसी।

3–राजकुमार निवासी बडागांव गेट बाहर डडियापुरा मोहल्ला थाना कोतवाली झांसी।

4–एहसान उर्फ तौहीद निवासी मेन रोड खैलार पशु अस्पताल के सामने थाना बबीना जनपद झांसी।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी 07 मोटर साइकिल।

➢ **<u>जनपद बाराबंकी/थाना असन्द्रा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना असन्द्रा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–दामोदर उर्फ सद्दाम को धारा 302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास

व 01 लाख 05 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं 2–अभियुक्ता को धारा 302 सपठित धारा 120भी भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **जनपद मऊ/थाना कोपागंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना कोपागंज पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–रवि प्रकाश को धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड, अभियुक्त 2–राहुल को धारा 302/34/201 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 3–धीरज को धारा 201 भादवि के अन्तर्गत 03 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **जनपद बाराबंकी/थाना रामनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 16 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना रामनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452/506 भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कन्हैया को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 16 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **जनपद औरैया/थाना को0औरैया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना को0औरैया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(1)/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुनील कुमार को 15 वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————